कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र)

क्रमांक / 32 / टीसी / 2025 भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2025

प्रति,

समस्त परिवहन चेकपॉइंट
समस्त संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड
मध्यप्रदेश

विषय :– प्रर्वतन अमले द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सुनिश्चित की जाने वाली कार्यवाही।

––00––

परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग/प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान समय–समय पर वाहन स्वामियों/ड्रायवरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनके संबंध में कभी–कभी मीडिया में भी प्रचार–प्रसार किया जाता है जिससे की विभाग की छवी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पारदर्शी तरीके से बिना किसी प्रताड़ना के वाहन चेकिंग किस प्रकार की जाये इसके लिये निम्नानुसार निर्देश पारित किये जाते हैं जिनका शत–प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें :–

1. परिवहन चेकपॉइंट/परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड द्वारा चेकिंग तभी की जायेगी जब कम से कम एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी मौजूद हो।
2. चेकिंग के समय समस्त स्टॉफ वर्दी में होना चाहिए एवं सभी की वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होना चाहिए।
3. यूनिट के साथ संबद्ध ड्रायवर के अतिरिक्त कोई भी प्रायवेट व्यक्ति चेकिंग की कार्यवाही के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चालानी कार्यवाही केवल POS Machine के माध्यम से की जानी चाहिए। जहां POS Machine नहीं है, प्रभारी उसे तत्काल प्राप्त कर उसे प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें।
4. वाहन चेकिंग के दौरान यूनिट द्वारा एक बार में मात्र एक ही वाहन को रोका जाये और उसकी चेकिंग/उसके विरूद्ध कार्यवाही के पश्चात ही अन्य किसी वाहन को रोका जाये। किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारणों के 15 मिनिट से अधिक न रोका जाये अन्यथा यह माना जायेगा कि वाहन को रोकने के संबंध में यूनिट की मंशा सही नहीं है।
5. रात के समय अगर चेकिंग आवश्यक हो तो ऐसे स्थान का चयन किया जाये जहां रोशनी के अभाव में कोई दुर्घटना न हो। अंधेरे के समय चेकिंग के दौरान स्टॉफ के पास LED Baton एवं Reflective Jacket पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे।
6. Body Worn Camera उपलब्ध होते ही संपूर्ण चेकिंग अवधि के दौरान कम से कम 02 Body Worn Camera चालू हालत में रहें और इनमें से कम से कम एक Body Worn Camera (BWC) लाइव मोड में रहे, ऐसा प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कैमरे को अधिकारी/कर्मचारीवार आवंटित किया जाये एवं संबंधित व्यक्ति ही उस Body Worn

Camera (BWC) का उपयोग करेंगे। चैकिंग के दौरान उपरोक्त वर्णित Recording Mode के दो कैमरों के अलावा बाकी अन्य कैमरा Standby Mode में रहेंगे। अगर स्टॉफ चैकिंग की कार्यवाही के दौरान किसी भी अन्य प्रायवेट व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे निम्नानुसार यह अवगत कराया जायेगा कि उसकी रिकॉर्डिंग Body Worn Camera (BWC) द्वारा की जा रही है। चैकिंग की कार्यवाही का हर क्षण Body Worn Camera (BWC) में रिकार्ड हो यह प्रभारी सुनिश्चित करेंगे।

7. Body Worn Camera (BWC) पर्याप्त रूप से चार्ज रहे एवं उसमें पर्याप्त स्टोरेज प्रतिदिन उपलब्ध रहे यह व्यवस्था प्रभारी निरंतर रूप से सुनिश्चित करेंगे।
8. अगर चैकिंग के दौरान किसी वाहन ड्रायवर अथवा किसी अन्य प्रायवेट व्यक्ति से वाद–विवाद होता है तो उसकी जानकारी में लाकर घटना की Body Worn Camera (BWC) से रिकॉर्डिंग की जाये ताकि संबंधित के द्वारा की गयी शिकायत की जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सही स्थिति ज्ञात हो सके।

उपरोक्त निर्देशों को अक्षरतः पालन सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी यूनिट प्रभारी की रहेगी और इनके पालन में जरा सी भी चूक होने पर प्रभारी अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे।

अतः अपने अधीनस्थ अपने समस्त स्टॉफ को लगातार कुछ दिनों तक इन दिशा–निर्देशों से अवगत करायें ताकि शासन की मंशानुसार पारदर्शी तरीके से प्रदेश में वाहन चैकिंग की कार्यवाही का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

16/4/25

(विवेक शर्मा)
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/32/टीसी/2025 भोपाल, दिनांक 16/04/25

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशा.) म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. श्री राजेश राठौर, संभागीय उप परिवहन आयुक्त इंदौर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
3. उप परिवहन आयुक्त(शिकायत) म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

16/4/25

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश